

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN No. L40101DL1989GOI038121



उत्तरी क्षेत्र, मुख्यालय, बी-9-कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016-दूरभाष 26532934
Northern Region-1 Headquarters, B-9 Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Tel:(011) 26532934

Ref:POWERGRID/NR-I/RTI/1801/ 3823

Dt.-26.09.2019
01/10/2019

सेवा में,

श्री कल्याण सिंह
म. न. 23, शिव मन्दिर वाली गली,
सुन्दरपुरी गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद (उ. प्र.)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2019 के संदर्भ में |

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2019 के संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी संलग्न अनुलग्नक-1 में निहित है | अधिकारी के नाम से सम्बंधित जानकारी आर. टी. आई अधिनियम के नियम 8(1) (g) and (j) के तहत नहीं दी जा सकती |

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

The details of First Appellate Authority
Shri H.K.Mallick, Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,
Power Grid Corporation of India Ltd., B-9, Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Phone No.011-26560203

कृप्या इसकी पावती भेजे |
धन्यवाद |

भवदीय


[आर. नारायण]

मुख्य महाप्रबंधक (पी .ई .एस .एम)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

Copy to: NIO: Sr. GM, Roorkee: for information and records, please.
Chief GM (Vigilance), NR-I: for information, please.


Ok

वर्ष 2012 में पाँवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा 765 के. वी. सिंगल सर्किट आगरा- मेरठ लाइन के निर्माण कार्य के दौरान कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया था।

कृपया आपके उपरोक्त विषयक के संबंध में निम्नलिखित जानकारी बिन्दु वार नीचे दिया गया है।

1. पाँवर ग्रिड द्वारा लाइन के तार खींचते समय श्री मान सिंह पुत्र भागीरथ के हिस्से की गेहूँ की फसल क्षतिग्रस्त हुई थी जिसका क्षेत्रफल 765 वर्ग मी. था तथा उपज के आधार पर उक्त फसल का मुआवज़ा रूपये 3201/- किया गया था। उपरोक्त मुआवजे का भुगतान सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से होता है। नियमानुसार अधिकारी का नाम देना संभव नहीं है।
2. हाई वोल्टेज लाइन के नीचे हर जगह खेती हो रही है और कोई भी ब्यक्ति को इसके नीचे काम करने से कोई झुलसने खतरा नहीं होता है एवम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 2003 की धारा 164 के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण का प्राविधान नहीं है।
3. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 2003 की धारा 164 के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण का प्राविधान नहीं है।

भवदीय


(परवेज़ अख्तर)

सहायक अभियन्ता